मांगीदेवी बनाम भैराराम व अन्य
जीसीएमएस न. 2017/00291
प्रकरण सं. 09/2017

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास–रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 09/2017

प्रार्थी :–

1. मांगीदेवी पत्नि बनवारी लाल जाति विश्नोई निवासी रोटू तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भैराराम पुत्र पेमाराम
2. सुण्डाराम पुत्र भीयांराम
3. जगदीश पुत्र भीयांराम
4. रामकुवार पुत्र भीयांराम
5. फुली पत्नि भीयांराम
   समस्त जातियान विश्नोई निवासी रोटू तहसील जायल जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 8 उपस्थित।

– : : निर्णय : : –

दिनांक 22/6/2022

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का एक खेत ख.न. 99 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा, ख.न. 62 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा व प्रार्थीया के पति के नाम खातेदारी खेत ख.न. 61 रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा जिसमे प्रार्थीया की रहवासी ढाणी बनी हुई है। अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 96 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा जिसके दक्षिण के पास पास होता हुआ ख.न. 97 की पूर्वी सींव के नजदीक होता हुआ कटाणी रास्ता रोटू से अजबपुरा जाने वाले रास्ते होकर प्रार्थी के आने जाने हेतु एक मात्र नजदीक रास्ता है। इस रास्ते के सिवाय अन्य कोई नजदीक

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने परिवार के साथ ख.न. 61 में बनी ढाणी में निवास करती है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु ख.न. ख.न. 97 में से कम भूमि रास्ते मे जाने से यही एक मात्र रास्ता है। ख.न. 97 मे से नजरी नक्सा मार्क ए से बी तथा ख.न. 96 मे से मार्क बी से सी घोषित किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु अन्य कटाण रास्ता नहीं होने से व यही एक मात्र रास्ता होने से रास्ता घोषित करने की इस्तदुआ की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को जवाब हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 6 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जो बाद सूचना एवं उपस्थिति ईन्तजार करने के उपरांत भी हाजिर नहीं आये। जिस पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई। तहसीलदार जायल द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 23.03.2020 को मौके पर तैयार की जाकर द्वारा पत्रांक 1196 दिनांक 08.06.2020 से प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपने खेत ख.न. 99 मे आने जाने ख.न. 97 मे से मार्क सी.डी.ई उपयोग कर रहा है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते ख.न. 96 व 97 मे से जिसकी लम्बाई 560 फीट दूरी है तथा 20 फिट चौडाई है जिसमे वर्तमान मे आना जाना है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने वैकल्पिक रास्ता ख.न. 97 की पश्चिमी सीमा से जो मौका रिपोर्ट मार्क ए से बी दर्शाया गया जिसकी दुरी 125 फिट है। इससे कम दुरी का रास्ता नहीं है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही होने से तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding)का होने हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुनरावृती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई कटाणी रास्ता लगता है। प्रार्थी अपनी रहवासी ढाणी मे आने जाने हेतु ख.न. 96 व 97 के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीक रास्ता नहीं है। तथा ख.न. 96 प्रार्थीया के देवर का खेत है। जिससे प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता बाबत घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमाद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत ख.न. 99, 62 व 61 जिसके प्रार्थी के कथनानुसार कटाणी या वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु ख.न. 96 व 97 अप्रार्थीगण सहखोतदारी के खेत में से कटाणी रास्ता से फटकर ही आवगमन हेतु सबसे

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नजदीक रास्ता है। तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे भी प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते से ही आना जाना बताया है। मौका रिपोर्ट प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 96 में से होकर खसरा नंबर 97 में से मार्क सी से डी एवं ई से होकर होना बताया है जिसकी लम्बाई 560 फीट है। मौका कमिश्नर द्वारा एक अन्य रास्ता खसरा नंबर 97 के पश्चिमी सींव पर मार्क ए से बी प्रस्तावित किया है जिसकी लंबाई 125 फीट है जो कि प्रार्थी के खेत में जाने हेतु सबसे कम दूरी का रास्ता है। मौका कमिश्नर ने रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 96 व 97 में से मार्क सी–डी–ई से रास्ते का उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थी की ओर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.10.2021 को नोट प्रेस कर लिया गया में प्रार्थी में वर्णित किया है कि खसरा नंबर 96 प्रार्थीया के देवर भेराराम की खातेदारी का खेत है जो प्रार्थीया को बिना प्रतिफल लिये रास्ता देने हेतु सहमत है।

अतः मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 96 व 97 में से मार्क सी–डी–ई से रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करने एवं प्रार्थी द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त हेतु प्रार्थना पत्र में जो खसरा नंबर 96 के खातेदार द्वारा बिना प्रतिफल रास्ता दिये जाने का कथन किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यता साबित नहीं कर पाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 251 क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को साबित नहीं कर पाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

यह आदेश आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल